भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न संख्या : 257

सोमवार, 18 अगस्त, 2025 (27 श्रावण, 1947, (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान संख्या एआई-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद डीजीसीए द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई

257. श्री संदोष कुमार पी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अहमदाबाद में उड़ान संख्या एआई-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद डीजीसीए द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए कोई जांच समिति नियुक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अप्रत्याशित विमान दुर्घटना को देखते हुए सरकार की एयरलाइन उद्योग में नियामक और सुरक्षा उपायों में सुधार लाने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

“उड़ान संख्या एआई-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद डीजीसीए द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई” के संबंध में श्री संदोष कुमार पी द्वारा पूछे गए दिनांक 18.08.2025 के राज्य सभा मौखिक प्रश्न संख्या 257 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): अहमदाबाद में दिनांक 12.06.2025 को एअर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के संभावित कारण(णों)/योगदायी कारक(कों) का निर्धारण करने के लिए महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) द्वारा वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2017 के नियम 11 के तहत जाँच का आदेश दिया गया है।

एएआईबी द्वारा दुर्घटना पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट दिनांक 12 जुलाई, 2025 को प्रकाशित की गई है और यह उनकी वेबसाइट www.aaib.gov.in पर उपलब्ध है। यह रिपोर्ट उस समय उपलब्ध तथ्यात्मक जानकारी के आधार पर तैयार की गई है और इसमें किसी निष्कर्ष का उल्लेख नहीं है।

जाँच जारी है और इसमें दुर्घटना के संभावित कारण(कारणों)/योगदायी कारक(कारकों) का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जाँच-पड़ताल की जाएगी। किसी दुर्घटना या घटना की जाँच का एकमात्र उद्देश्य दुर्घटनाओं और घटनाओं की रोकथाम होगा, न कि दोष या दायित्व का निर्धारण करना।

(घ) से (च): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान के सुरक्षित परिचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नागर विमानन विनियम निर्धारित किए हैं इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) और यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (ईएएसए) के मानकों सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ लगातार अद्यतन और अनुरूप बनाया जाता है। आईसीएओ मानकों के अनुसरण में डीजीसीए समय-समय पर अपने विनियमों में संशोधन करता है।

इन विनियमों के अंतर्गत, प्रचालकों को विनिर्माताओं द्वारा जारी दिशानिर्देशों, जैसे सर्विस बुलेटिन, उड़नयोग्यता निर्देश (एडी) और अनुरक्षण योजना दस्तावेज़ (एमपीडी) का पालन करना आवश्यक है।

प्रभावी सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय ने एक संरचित निगरानी और ऑडिट फ्रेमवर्क लागू किया है।
